

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-112/2016/वी0आई0वी0-111/चि0-3-16-41रिट/2013,
लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2016

कार्यालय जाप

डा0 देवेन्द्र अग्रवाल, रेडियोलॉजिस्ट, (वरि0क्र0-11049, लेवल-3) अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए जिला महिला चिकित्सालय, एटा में एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 देवेन्द्र अग्रवाल, को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराये।

विनोद कुमार सिंह


संयुक्त सचिव

संख्या-112/2016/वी0आई0वी0-111(1)/चि-3-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल आगरा/अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, एटा।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा/एटा।
- 6- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- ✓ 8- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 9- चिकित्सा अनुभाग-2/8।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-113/2016/1577/चि0-3-16-टी-1(114)/2016,

लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2016

कार्यालय जाप

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित स्थान से स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम / वरि0क्र0/लेवल/ गृह जनपद/ विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	डा0 के0के0 झा/9673/ ले0-4/ बंका(बिहार)/ बाल रोग विशेषज्ञ	जिला क्षय रोग अधिकारी, अम्बेडकर नगर	एस0एन0सी0यू0, अम्बेडकर नगर
2	डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव/ 11599ख1/ ले0-3/बस्ती/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकर नगर	एस0एन0सी0यू0, अम्बेडकर नगर
3	डा0 आर0 के0 वर्मा/ 11961क1/ले0-2 /सुलतानपुर/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकर नगर	एस0एन0सी0यू0, अम्बेडकर नगर
4	डा0 पी0पी0 सिंह/9776/ ले0-4/बिजनौर/ बाल रोग विशेषज्ञ	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा	एस0एन0सी0यू0, अमरोहा
5	डा0 एम0सी0 गर्ग/ 8384 / ले0-4/ बरेली/ बाल रोग विशेषज्ञ	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, रामपुर	एस0एन0सी0यू0, रामपुर
6	डा0 राजीव अग्रवाल /11819/ ले0-3/बरेली/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर	एस0एन0सी0यू0, रामपुर

7	डा0 शमीम अहमद /8369/ ले0-4 /नैनीताल (उत्तराखण्ड)/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर	एस0एन0सी0यू0, रामपुर
8	डा0 अनवर सादात/ 11596/ले0-3/बिजनौर/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर	एस0एन0सी0यू0, रामपुर
9	डा0 बृजेश चन्द्र/11030/ ले0-3/बदायूँ/..... बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर	एस0एन0सी0यू0, रामपुर
10	डा0 सतीश कुमार/ ले0-1/गोरखपुर/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कुशीनगर	एस0एन0सी0यू0, कुशीनगर
11	डा0 गौतम शर्मा /12054क/ले0-2 /गोरखपुर/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर	एस0एन0सी0यू0, कुशीनगर
12	डा0 सतीश रंजन / 9793क/ले0-4 /सिसवा(बिहार)/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर	एस0एन0सी0यू0, कुशीनगर
13	डा0 सतीश कुमार सिंह/ 11334क/ ले0-3/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर	एस0एन0सी0यू0, कुशीनगर
14	डा0 विनोद कुमार बिन्द/ 12400/ले0-2/ संत रविदास नगर/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर	एस0एन0सी0यू0, कुशीनगर
15	डा0 संतोष कुमार यादव/ 12725/ ले0-2/गोरखपुर/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, कुशीनगर	एस0एन0सी0यू0, कुशीनगर
16	डा0 कमलेश कुमार वर्मा / 11987क5/ले0-2/बरेली/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहाँपुर सम्बद्ध एस0एन0सी0यू0	एस0एन0सी0यू0, कानपुर देहात

17	डा0 विकास अग्रवाल/ ले0-1/बहराईच/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद	एस0एन0सी0यू0, फैजाबाद
18	डा0 अशोक कुमार रस्तोगी / 10264क/ ले0-3/ शाहजहाँपुर/ बाल रोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर	एस0एन0सी0यू0, शाहजहाँपुर

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-113/2016/1577(1)/चि-3-16, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों/अधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति अनुपालनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 2- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 4- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी।
- 5- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका।
- 6- सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका)।
- 8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- 9- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 10- चिकित्सा अनुभाग-2/8/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

१

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-517/चि-3-16-41रिट/2013
लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 आर0डी0 गौतम, (वरि0क011758,ले0-3), तत्कालीन चिकित्साधिकारी (रेडियोलाजिस्ट), जिला संयुक्त चिकित्सालय कन्नौज सम्प्रति जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद के विरुद्ध जिला संयुक्त चिकित्सालय, कन्नौज में आये मरीजों का एक्स-रे बिना पैसा लिये न करने, मेडिकोलीगल केस में 10 से 20 हजार रुपये लेने के बाद ही रिपोर्ट लगाने तथा रुपये न मिलने पर रिपोर्ट को लटकाये रखने आदि आरोपों के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3915/सेक-2-पांच-13-5(162)/2013, दिनांक 23.09.2013 द्वारा निलम्बित करते हुए निलम्बन अवधि में मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया तथा आरोपों की जांच हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3918/सेक-2-पांच-13-5(162)/2013, दिनांक 23.09.2013 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर को जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- डा0 आर0डी0 गौतम द्वारा निलम्बन के विरुद्ध प्रत्यावेदन दिनांक 12.02.2014 शासन को उपलब्ध कराया गया, जिसमें उन्होंने निलम्बन से सेवा में बहाल किये जाने का अनुरोध किया। डा0 आर0डी0 गौतम के उक्त प्रत्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-876/सेक-2-पांच-14-5(162)/2013, दिनांक 07.03.2014 द्वारा उन्हें निलम्बन से इस शर्त के साथ सेवा में बहाल किया गया कि उनके विरुद्ध प्रवर्तित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत चलती रहेगी, निलम्बन से बहाली के उपरान्त उन्हें जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात किया गया।

3- डा0 आर0डी0 गौतम के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में अनुमोदित आरोप-पत्र शासन के पत्र संख्या-3363/चि-3-13-41रिट/2013, दिनांक 20.02.2014 द्वारा जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मण्डल कानपुर का प्रेषित करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्रांक-अ0नि0/अनु0कार्य0/डा0 आर0डी0गौतम/2016/6942, दिनांक 19.02.2016 द्वारा जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी।

4- डा0 आर0डी0 गौतम चिकित्साधिकारी के विरुद्ध जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या का परीक्षण किया गया और पाया गया कि डा0 आर0डी0 गौतम के विरुद्ध एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने तथा रिपोर्ट लगाने हेतु पैसा लिये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। डा0 गौतम के विरुद्ध शिकायत की गयी थी बिना पैसा लिए किसी भी मरीज का एक्स-रे नहीं करते हैं। मेडिकोलीगल केस में रुपये लेने के बाद ही रिपोर्ट लगाते हैं, जिसकी जांच दो बार करायी गयी जांच में आरोप प्रमाणित नहीं पाये, क्योंकि डा0 गौतम के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोप के सम्बन्ध में पैसा लिए जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। डा0 गौतम के द्वारा उक्त चिकित्सालय में तैनाती अवधि में जिन व्यक्तियों का एक्स-रे किया गया है उनके द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष एक्स-रे करने तथा जांच रिपोर्ट लगाने हेतु पैसा

लिए जाने की बात को अस्वीकार किया गया है। अतः सम्यक विचारोपशान्त यद्यपि डा0 आर0डी0 गौतम तत्कालीन चिकित्साधिकारी जिला चिकित्सालय, कन्नौज सम्प्रति जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये है तथापि जिलाधिकारी, कन्नौज के पत्र दिनांक 15.06.2013 के दृष्टिगत डा0 आर0डी0 गौतम को पूर्ण सजगता के साथ कार्य करने हेतु सचेत करते हुए प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने तथा उन्हें जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद से स्थानान्तरित कर जिला चिकित्सालय (पुरुष) मथुरा में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- अतएव श्रीराज्यपाल एतद्वारा डा0 आर0डी0 गौतम तत्कालीन चिकित्साधिकारी (रेडियोलॉजिस्ट), जिला चिकित्सालय, कन्नौज सम्प्रति जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद को पूर्ण सजगता के साथ कार्य करने हेतु सचेत करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-3918/सेक-2-पॉच-13-5(162)/2013, दिनांक 23.09.2013 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने तथा उन्हें जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद से स्थानान्तरित कर जिला चिकित्सालय (पुरुष) मथुरा में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

श्रीराज्यपाल के आदेश से,


अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-517(1)/चि-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर निदेशक, (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल कानपुर/आगरा मण्डल, आगरा।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (पुरुष) मथुरा।
5. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद)।
6. चिकित्सा अनुभाग-2
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव